भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1714
03 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
जननी सुरक्षा योजना के लिए निधि आवंटन

1714. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक जननी सुरक्षा योजना के संबंध में किये गये बजटीय आवंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) ने संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने के उद्देश्य को हासिल किया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के लिए निधियों का आवंटन आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल के भाग के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत किया जाता है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2019-20 तक जेएसवाई के लिए दिए गए अनुमोदनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	**राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन (करोड़ रूपए में)**
2009-10	1515.40
2010-11	1680.51
2011-12	1741.06
2012-13	1809.67
2013-14	2018.97
2014-15	2039.81
2015-16	1982.95
2016-17	1957.04
2017-18	1994.36
2018-19	1976.23
2019-20	2032.25

वित्त वष 2009-10 से वष 2019-20 तक जेएसवाई के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय निम्नवत है:-

वष	व्यय (करोड़ रू. म)
2009-10	1473.76
2010-11	1619.33
2011-12	1606.19
2012-13	1672.42
2013-14	1764.33
2014-15	1777.04
2015-16	1708.72
2016-17	1788.10
2017-18	1835.06
2018-19	1786.69
2019-20	1773.89

(ख) से (घ). एनएफएचएस-3 म 38.7% संस्थागत प्रसूति को तुलना म एनएफएचएस- 4 म संस्थागत प्रसूति म 78.9% को वृद्धि ने एक दशक म जेएसवाई ने महत्वपूण प्रभाव डाला ह। एनएफएचएस- 4 डेटा को तुलना म, एनएफएचएस- 5 (वष 2019-20) के प्रथम चरण के जारी डाटा म सभी 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र म संस्थागत शिशु जन्मों म वृद्धि देखी गई है तथा 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म संस्थागत शिशु जन्म को प्रतिशतता 90% से अधिक है। राज्य- वार ब्यौरा **अनुलग्नक** म दिया गया है।

अनुलग्नक

संस्थागत प्रसूति

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत शिशु जन्म (%)		
		एनएफएचएस-3	एनएफएचएस -4	एनएफएचएस -5*
	भारत	**38.7**	**78.9**	**उपलब्ध नहीं**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	96.4	99.0
2	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	91.5	96.5
3	अरुणाचल प्रदेश	28.5	52.2	**उपलब्ध नहीं**
4	असम	22.4	70.6	84.1
5	बिहार	19.9	63.8	76.2
6	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	91.6	**उपलब्ध नहीं**
7	छत्तीसगढ	14.3	70.2	**उपलब्ध नहीं**
8	*दादरा और नगर हवेली*	उपलब्ध नहीं	88.0	**उपलब्ध नहीं**
	दमन और दीव	उपलब्ध नहीं	90.1	**उपलब्ध नहीं**
	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	उपलब्ध नहीं	88.5	96.5
9	दिल्ली	59.0	84.4	**उपलब्ध नहीं**
10	गोवा	92.3	96.9	99.7
11	गुजरात	52.7	88.5	94.3
12	हरयाणा	35.7	80.5	**उपलब्ध नहीं**
13	हिमाचल प्रदेश	43.1	76.4	88.2
14	जम्मू और कश्मीर	50.2	85.6	92.4
15	झारखंड	18.3	61.9	**उपलब्ध नहीं**
16	कनाटक	64.7	94.0	97.0
17	केरल	99.3	99.8	99.8
18	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	99.3	99.6
19	लद्दाख	उपलब्ध नहीं	90.8	95.1
20	मध्य प्रदेश	26.2	80.8	**उपलब्ध नहीं**
21	महाराष्ट्र	64.6	90.3	94.7
22	मणिपुर	45.9	69.1	79.9
23	मेघालय	29.0	51.4	58.1
24	मिजोरम	59.8	79.7	85.8
25	नगालंड	11.6	32.8	45.7
26	उड़ीसा	35.6	85.3	**उपलब्ध नहीं**
27	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं	99.9	**उपलब्ध नहीं**
28	पंजाब	51.3	90.5	**उपलब्ध नहीं**
29	राजस्थान	29.6	84.0	**उपलब्ध नहीं**
30	सिक्किम	47.2	94.7	94.7
31	तमिलनाडु	87.8	99.0	**उपलब्ध नहीं**
32	तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	91.5	97.0
33	त्रिपुरा	46.9	79.9	89.2
34	उत्तर प्रदेश	20.6	67.8	**उपलब्ध नहीं**
35	उत्तराखंड	32.6	68.6	**उपलब्ध नहीं**
36	पश्चिम बंगाल	42.0	75.2	91.7

*** केवल 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध म जारी एनएफएचएस -5 (वष 2019-20) के प्रथम चरण का डाटा।**

***